संख्या-50/2023/।/296276/2023/001-71-2099-111-2020

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
के0जी0एम0यू0,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 30 मार्च, 2023

विषयः-वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत सरकार की योजना नेशनल प्रोग्राम फार प्रिवेन्शन एण्ड मैनेजमेंट ऑफ बर्न इंजरी (NPPMBI) के अंतर्गत के0जी0एम0यू0, लखनऊ के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के पुरानी ओ0टी0, डिजास्टर रूम के नवीनीकरण/जीर्णोद्धार व अन्य कार्यों संबंधी प्रायोजना हेतु अवशेष किश्त की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-12853/योजना अनु0/2023, दिनांक 06.02.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत सरकार की योजना नेशनल प्रोग्राम फार प्रिवेन्शन एण्ड मैनेजमेंट ऑफ बर्न इंजरी (NPPMBI) के अंतर्गत के0जी0एम0यू0, लखनऊ के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के पुरानी ओ0टी0, डिजास्टर रूम के नवीनीकरण/जीर्णोद्धार व अन्य कार्यों संबंधी प्रायोजना हेतु अवशेष किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि उक्त परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-41/2021/5196/71-2-2021-30/2018, दिनांक 31 मार्च, 2021 द्वारा प्रथम किस्त की धनराशि रू0 73.97 लाख (केन्द्रांश रू0 44.382 लाख एवं राज्यांश रू0 29.588 लाख) अवमुक्त की गयी थी।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार की योजना नेशनल प्रोग्राम फार प्रिवेन्शन एण्ड मैनेजमेंट ऑफ बर्न इंजरी (NPPMBI) के अंतर्गत प्लास्टिक सर्जरी विभाग के पुरानी ओ0टी0, डिजास्टर रूम के नवीनीकरण/जीर्णोद्धार व अन्य कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 अवशेष धनराशि रू0 73.97 लाख (केन्द्रांश की धनराशि रू0 33.91 लाख एवं राज्यांश की धनराशि रू0 40.06 लाख) अवमुक्त किए जाने किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं-

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

1. भारत सरकार के पत्रांक एस-11025/23/2014-एम0एच0-III एफ0टी0एस0 न0-98076/2014, दिनांक 07.12.2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों/प्रतिबंधों एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि को किसी बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
3. विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कुलपति /कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 की होगी।
4. विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है तथा प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है एवं इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/ स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गयी है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना /कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
5. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
6. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सैंटेज चार्ज दिया जायेगा। बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हेतु सेन्टेज अनुमन्य नहीं होगा।
7. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
8. कार्यदायी संस्था को 02 माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी। संस्थान के वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि को कोषागार से आहरण 02-02 माह की आवश्यकतानुसार ही किया जाए।
9. प्रायोजनान्तर्गत उच्च विशिष्टियों पर निदेशक द्वारा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही कार्य कराया जाय।
10. वित्त विभाग के वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस- 2022 - 231/ 2022, दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित प्रतिबन्ध/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संबंधित संस्था के प्रमुख एवं वित्त नियंत्रक का होगा।
11. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत प्राक्कलन में निर्धारित विशिष्टयों के अनुरूप समयबद्व रूप से गुणवत्ता पूर्ण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रस्तावित समस्त कार्यो की गुणवत्ता व आडिट की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव एवं कार्यदायी संस्था की होगी।
12. विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तिया एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।
13. प्रायोजनान्तर्गत कार्य मदों/विशिष्टियों में कोई परिवर्तन मूल्यांकन समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा, इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति से पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 01 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

14. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/विश्वविद्यालय सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
15. प्रायोजना में सम्मिलित, जो कार्य प्रोप्राइटरी श्रेणी का कार्य है एवं इनके शिड्यूल ऑफ रेटस उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, मॉडल एवं स्पेसिफिकेशन के अंतर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः कुलपति/कुलसचिव, विश्वविद्यालय द्वारा निर्माण के समय इसका कार्य एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर की जाय।
16. प्रायोजना का निर्माण स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना का कोई पुनरीक्षित अनुमन्य नहीं होगा।
17. पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-41/2021/5196/71-2-2021-30/2018, दिनांक 31 मार्च, 2021 की शर्ते एवं प्रतिबन्धत यथावत रहेंगी।
18. धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0 द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 40,06,000 (रुपये चालीस लाख छह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050600 किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,उत्तर प्रदेश **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य (*2*) रुपये 33,91,000 (रुपये तैंतीस लाख इक्यानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031058926 के0जी0एम0 यू0 लखनऊ में नेशनल प्रोग्राम फार प्रिवेन्शन एण्ड मैनेजमेंट फार बर्न इन्जरी **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-651/दस-2022-23 दिनांक 30-03-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-50/2023/I/296276/2023/001-71-2099-111-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
8. अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमि0,
9. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।